न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 891–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 145/अपील/2013–14.

श्रीमती कमलादेवी पति स्व. श्री रामेश्वर दयाल
निवासी 19/2, जिन्सी, इन्दौर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

तहसीलदार, सांवेर
तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....प्रत्यर्थी

श्री हेमन्त फड़के, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/4/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कदवाली खुर्द, तहसील सांवेर जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 317 रकबा 1.177 हेक्टेयर उसके द्वारा श्री महादेव मन्दिर देवस्थान, कदवाली खुर्द द्वारा संरक्षक श्रीमती अयोध्याबाई से दिनांक 15–5–85 को रजिटर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, उक्त भूमि पर व्यवस्थापक कलेक्टर इन्दौर का नाम बिना किसी आदेश के दर्ज हो गया है । अतः रिकार्ड दुरूस्त

किया जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 75/बी–121/2008–09 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, और उक्त प्रतिवेदन से असहमत होकर दिनांक 28–8–2009 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–7–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18–1–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर के समय रिट पिटीशन कमांक 2401/2012 प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2–8–2013 को आदेश पारित कर प्रकरण कलेक्टर, इन्दौर को इस निर्देश के साथ वापिस भेजा गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तीन माह में प्रकरण का निराकरण करें । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–74/2012–13 दर्ज कर दिनांक 4–12–2013 को आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र अमान्य किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–2–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि श्री महादेव मन्दिर की संरक्षिका अयोध्याबाई थी, और उसकी मुत्यु उपरान्त मृतक अयोध्याबाई की उत्तराधिकारी होने से अयोध्याबाई के स्थान पर अपीलार्थी का नाम संरक्षक के रूप में दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि वादग्रस्त भूमि निजी स्वामित्व की भूमि है, जिस पर शासन का कोई हित नहीं है, फिर भी बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम की प्रविष्टि की गई है, जो कि

अवैधानिक एवं अनियमित है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर को निजी मन्दिर का प्रबंधक किस हैसियत से बनाया गया है, इसका कोई भी आदेश न तो अभिलेख पर है, और न ही इसका उल्लेख कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में किया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अयोध्याबाई एवं कन्हैया लाल द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है, इसलिए अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है । तर्क में यह भी कहा गया कि जॉच प्रतिवेदन में वादग्रस्त भूमि निजी स्वामित्व की होने से व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम की प्रविष्टि विलोपित करने संबंधी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है, किन्तु कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में बिना किसी निष्कर्ष के उक्त प्रतिवेदन अस्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह पाते हुए कि व्यवस्थापक कलेक्टर का नाम दर्ज करने संबंधी कोई भी आदेश नहीं है, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि पर शासन का कोई हित निहित नहीं होने से कलेक्टर, अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर को पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु वापिस भेजा गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को सर्वप्रथम व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम की प्रविष्टि को विलोपित करने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही करना चाहिए थी, किन्तु कलेक्टर द्वारा ऐसा नहीं करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2011 आर.एन. 435, 1995 आर.एन. 387, 2013 आर.एन. 215 एवं 2013 आर.एन. 374 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है कि क्या संरक्षक को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया गया है, और कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जायें ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी किस आधार पर मंदिर की व्यवस्थापक बनी है । मन्दिर की भूमि के स्वामी मंदिर की मूर्ति होती है, जो कि नाबालिग की श्रेणी में आती है, इसलिए कलेक्टर को व्यवस्थापक नियुक्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और इसी कारण आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर